झारखण्ड उच्च न्यायालय राँची

आपराधिक प्रकीर्ण याचिका सं. 528 वर्ष 2024

1. विपिन कुमार दास उम्र लगभग 26 वर्ष, पुत्र दिनेश राम

2. पवन कुमार पासवान उम्र लगभग 26 वर्ष, पुत्र प्रकाश पासवान

दोनो गाँव- मदनगुंडी, पोस्ट ऑफिस तथा पुलिस थाना चंदवाड़ा, जिला - कोडरमा के निवासी

----------याचीगण

बनाम

1. झारखण्ड राज्य

2. जुलेखा खातून, पत्नी मोहम्मद मिनहाज अन्सारी, निवासी गाँव मदनगुंडी पोस्ट ऑफिस तथा पुलिस थाना चंदवाड़ा जिला-कोडरमा

----------विरोधी पक्षकारगण

याचीगण के लिए : श्री रणधीर कुमार, अधिवक्ता

राज्य के लिए : श्री पंकज कुमार मिश्रा,अपर लोक अभियोजक.

विरोधी पक्षकार सं. 2 के लिए : श्री मुकेश कुमार दुबे,अधिवक्ता

श्री देव नन्दन रजक,अधिवक्ता

निर्णीत

मा.श्री न्यायामूर्ति अनिल कुमार चौधरी

न्यायालय द्वारा :- दोनो पक्षकारो को सुना

2. इस दाण्डिक प्रकीर्ण याचिका को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 306,504,506,34 के अधीन दण्डनीय अपराधों के लिए पंजीकृत चंदपाड़ा पुलिस थाना मामला सं. 107 वर्ष 2023 के संबंध में सम्पूर्ण दाण्डिक कार्यवाही का अभिखंडन करने तथा अपास्त करने के अनुरोध के साथ दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन इस न्यायालय के अधिकारिता का अवलंब लेते हुए दाखिल किया गया है तथा उक्त मामला अब विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कोडरमा के न्यायालय में लंबित है।

3. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता तथा इत्तिला देने वाले /विरोधी पक्षकार सं. 2 के विद्वान अधिवक्ता ने संयुक्त रूप से इस न्यायालय का ध्यान अन्तर्वर्ती आवेदन सं. 2380 वर्ष 2024

की ओर आकृष्ट किया है जो याचीगण के पैरवीकार के पृथक शपथ पत्रो तथा इत्तिला देने वाले - विरोधी पक्षकार सं. 2 के शपथ पत्र द्वारा समर्थित है तथा निवेदन किया है कि इसमें यह उल्लेख किया गया है कि मामले के लंबित रहने के दौरान, शुभेच्छुओ के हस्तक्षेप के पश्चात, दोनो पक्षकारो ने विवाद को मैत्रीपूर्ण तरीके से निपटा लिया है तथा इत्तिला कर्ता को याचीगण के विरूद्ध कोई शिकायत नही है। याचीगण के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि याचीगण के विरूद्ध किसी कार्य, कृत्य या चीजो को करने के बारे में कोई प्रत्यक्ष अभिकथन नही है जिसने इत्तिला देने वाले-विरोधी पक्षकार सं. 2 के पुत्री को आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरित किया हो। आगे यह निवेदन किया गया है कि याचीगण को इस मामले में केवल आशंका के आधार पर आलिप्त लिया गया है तथा आशंका के सिवाय इस मामले में याचीगण (आकिरव) करने के लिए अभिलेख में कोई अन्य सामग्री नही है तथा इस तथ्य के दृष्टिगत कि पक्षकारो के बीच विवाद प्राइवेट विवाद है, इस मामले में कोई लोक नीति अनर्तवलित नही है। यह भी निवेदन किया गया है कि सह अभियुक्तगण के समान मामले को पहले ही इस न्यायालय द्वारा आ.प्र.या. सं. 307 वर्ष 2024 में पारित आदेश दिनांक 08-02-2024 द्वारा अभिखंडित तथा अपास्त किया गया है।याचीगण के विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया है कि पक्षकारो के बीच समझौता के दृष्टिगत, इस दाण्डिक कार्यवाही को जारी रखना विधि के कार्यवाही के दुरूपयोग के तुल्य होगा क्योंकि समझौता के दृष्टिगत याचीगण के दोष सिद्धि की गुंजाइश दूर तथा कठोर है। अतः यह निवेदन किया है कि चंदवाड़ा पुलिस थाना मामला सं. 107 वर्ष 2023 जब अब विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट -प्रथम श्रेणी कोडरमा के न्यायालय में लंबित है के संबंध में सम्पूर्ण दाण्डिक कार्यवाही को अभिखंडित तथा अपास्त किया जाय।

4. राज्य के लिए उपस्थित हो रहे विदवान अपर लो. अभि. ने निवेदन किया है कि पक्षकारो के बीच समझौते के दृष्टिगत, चंदवाड़ा पुलिस मामला सं. 107 वर्ष 2023 के संबंध में सम्पूर्ण दाण्डिक कार्यवाही को अभिखंडित तथा अपास्त करने में कोई आपत्ति नही है जो अब विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट- प्रथम श्रेणी कोडरमा के न्यायालय में लंबित है।

5. न्यायालय में किये गये प्रतिद्वन्द्वी निवेदनो को सुनने के पश्चात तथा अभिलेख में उपलब्ध सामग्रीयो का सावधानीपूर्वक परिशीलन करने के बाद, यहाँ यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि पर्वत भाई अहीर उर्फ पर्वत भाई भीम सिंह भाई करमुर तथा अन्य बनाम गुजरात राज्य तथा एक अन्य (2017) 9 एससीसी 641 में संप्रकाशित मामले में भारत के मा. उच्चतम न्यायालय को अन्य बातो के साथ पक्षकारो के बीच समझौता के आधार पर दण्ड प्रक्रिया संहिता

की धारा 482 के अधीन उच्च न्यायालय के अधिकारिता पर विचार करने का अवसर मिला तथा पैरा सं. 11 में निम्नवत अभिनिर्धारित किया है:-

"11. धारा 482 अध्यारोही प्रावधान से आरंभ होता है। कानून (i) किसी न्यायालय के कार्यवाही के दुरूपयोग को रोकने या (ii)अन्यथा न्याय के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए इस प्रकार के आदेशो को करने जैसा आवश्यक है वरिष्ठ न्यायालय के रूप में उच्च न्यायालय के अन्तर्निहित शक्ति की व्यावृत्ति करता है। ज्ञान सिंह में [ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य (2012) 10 एससीसी 303 : (2012) 4 एससीसी (सिव) 1188 : (2013) 1 एससीसी (क्रि) 160 : (2012) 2 एससीसी (एल एवं एस) 988) इस न्यायालय के तीन जजो के पीठ ने विषय पर नजीर के मुख्य भाग का उल्लेख किया था तथा निर्देशक सिद्धांतो को अधिकथित किया था जिस पर उच्च न्यायालय को यह अवधारित करने में विचार करना चाहिए कि क्या अन्तर्निहित अधिकारिता के प्रयोग में प्र.सू.रि. या परिवाद को अभिखंडित किया जा सकता है। विचार जिसे उच्च न्यायालय को प्रभावित करना चाहिए है : (एससीसी पे. 342-343, पैरा 61)

"61. अपने अन्तर्निहित अधिकारिता के प्रयोग में दाण्डिक कार्यवाही या प्र.सू.रि. या परिवाद के अभिखण्डन में उच्च न्यायालय की शक्ति संहिता की धारा 320 के अधीन अपराधो के शमनीकरण हेतु दाण्डिक न्यायालय को दिये गये शक्ति से अलग तथा भिन्न है। अन्तर्निहित शक्ति व्यापक प्राचुर्य के बारे में है जिसकी कोई कानूनी सीमा नही है लेकिन इस का प्रयोग इस प्रकार की शक्ति में रोपित दिशा निर्देश के अनुसार अर्थात (i) न्याय का उद्देश्य प्राप्त करने या (ii) किसी न्यायालय के कार्यवाही के दुरूपयोग को रोकने के लिए किया जाना चाहिए। किन मामलो मं दाण्डिक कार्यवाही या परिवाद या प्र.सूं.रि. के अभिखण्डन करने के शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है जहाँ अपराधी तथा पीड़ित ने अपने विवाद को निपटा लिया है प्रत्येक मामले के तथ्यो तथा परिस्थितियो पर निर्भर होगा तथा किसी श्रेणी से विहित नही किया जा सकता है। फिर भी, इस प्रकार के शक्ति का प्रयोग करने के पहले उच्च न्यायालय को अपराध के प्रकृति तथा गंभीरता पर सम्यक ध्यान देना चाहिए। मानसिक भ्रष्टता के जघन्य

तथा गंभीर अपराधो या हत्या, बलात्कार, डकैती इत्यादि जैसे अपराधो को उपयुक्त तरीके से अभिखंडित नही किया जा सकता है भले ही पीड़ित या पीड़ित का परिवार तथा अपराधी विवाद निपटा लिया है। इस प्रकार के अपराध प्रकृति में प्राइवेट नही होते है तथा इसका समाज पर गंभीर प्रभाव होता है। इसी प्रकार भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जैसे विशेष कानूनों के अन्तर्गत अपराधो या इस हैसियत में काम करते हुए लोक सेवको द्वारा किये गये अपराधो के संबंध में पीड़ित तथा अपराधी के बीच समझौता दाण्डिक कार्यवाहियाँ जिससे इस प्रकार के अपराध अन्तर्वलित है का अभिखण्डन करने के लिए किसी आधार का उपबंध नही कर सकता है। लेकिन दाण्डिक मामले जिसमें जबरजस्त तरीके से तथा प्रमुख रूप से सिविल विशिष्टता होती है विशेष रूप में व्यापारिक, वित्तीय, वाणिज्यिक, सिविल, भागीदारी या इस प्रकार जैसे संव्यवहारो से उदभूत अपराध या दहेज इत्यादि से संबंधित विवाह से उदभूत अपराध या पारिवारिक विवाद जहाँ अपराध मूलतः प्रकृति में प्राइवेट या व्यक्तिगत होता है तथा पक्षकारो ने अपने सम्पूर्ण विवाद को निपटा लिया है, अभिखण्डन के प्रयोजन हेतु भिन्न आधार पर आधारित होता है। इस श्रेणी के मामले में, उच्च न्यायालय दाण्डिक कार्यवाहियो को अभिखंडित कर सकता है यदि इसके विचार में, अपराधी तथा पीड़ित के बीच समझौते के कारण दोष सिद्धि की संभावना दूर तथा कठोर है तथा दाण्डिक मामले के जारी रहने से अभियुक्त अत्यधिक परेशानी में पड़ जायेगा तथा प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तथा पीड़ित के साथ पूरा तथा पूर्ण सुलह समझौता के बावजूद दाण्डिक मामले का अभिखण्डन न करने से इसके साथ अत्यधिक अन्याय होगा। दूसरे शब्दों में उच्च न्यायालय को यह विचार करना चाहिए कि क्या दाण्डिक कार्यवाही का जारी रहना न्यायहित के प्रतिकूल होगा या अनुचित होगा या दाण्डिक कार्यवाही का जारी रहना पीड़ित तथा अपराधी के बीच सुलह समझौते के बावजूद विधि के कार्यवाही के दुरूप्रयोग के तूल्य होगा तथा क्या न्याय का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए यह उचित है कि दाण्डिक मामले का अंत में तथा यदि उपरोक्त प्रश्न (प्रश्नो) का उत्तर हाँ

में है तो उच्च न्यायालय दाण्डिक कार्यवाही का अभिखंडन करने के अपने अधिकारिता में होगा। (दण्ड दिया गया)

6. अभिलेख के परिशीलन से यह प्रकट होता है कि इस मामले में अन्तर्वलित अपराध जघन्य अपराध नही है न ही मानसिक भ्रष्टता का कोई गंभीर अपराध इस मामले में अन्तर्वलित है, बल्कि अन्तर्वलित अपराध पक्षकारो के बीच प्राइवेट विवाद से संबंधित है जिसमें सिविल विशिष्टतता है।

7. अपराधीगण तथा पीड़ित के बीच पूर्ण समझौते के कारण याचीगण के दोष सिद्धि की संभावना दूर तथा कठोर है तथा दाण्डिक मामले के जारी रहने से याचीगण के साथ अत्यधिक अत्याचार होगा तथा प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा एवं पीड़ित के साथ पूर्ण सुलह समझौते के बावजूद दाण्डिक मामले का अभिखंडन न करने से इनके साथ अत्यधिक अन्याय होगा।

8. अतः इस न्यायालय की सुविचारित राय है कि यह उपयुक्त मामला है जहाँ चन्दवाड़ा पुलिस थाना मामला सं. 107 वर्ष 2023 के संबंध में सम्पूर्ण दाण्डिक कार्यवाही जो अभी विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कोडरमा के न्यायालय में लंबित है, जैसा याचीगण द्वारा अनुरोध किया गया है, को अभिखंडित तथा अपास्त किया जाय।

9. तदनुसार, चन्दवाड़ा पुलिस थाना मामला सं. 107 वर्ष 2023. जब अभी विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कोडरमा के न्यायालय में लंबित है के संबंध में सम्पूर्ण दाण्डिक कार्यवाहियो को याचीगण के विरूद्ध अभिखंडित तथा अपास्त किया जाता है।

10. परिणामस्वरूप, इस आपराधिक प्रकीर्ण याचिका को अनुज्ञात किया जाता है।

11. वर्तमान आ.प्र.या. के निपटारे के दृष्टिगत आई ए सं. 2380 वर्ष 2024 को तद्नुसार निपटाया जाता है।

(अनिल कुमार चौधरी, न्यायमूर्ति)

(यह अनुवाद 02 शिवा कान्त तिवारी पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया)